

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

अमिताभ कौशल
सचिव

सेवा में,

मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर/राँची/हजारीबाग/याँ०/ अग्रिम योजना,
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता/संबंधित निकासी एवं एवं व्ययन
पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग झारखंड।

राँची, दिनांक : 03.04.2020

विषय :- वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान 49S27010300107 अन्तर्गत 60 कार्यालयों को विभिन्न मदों में कुल रु 8223.20 लाख (बेरासी करोड़ तेईस लाख बीस हजार रुपये मात्र) राशि आवंटित करने के संबंध में।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2020-21 में बजट मुख्य शीर्ष 2701- मध्यम सिंचाई के अंतर्गत परिशिष्ट-I में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष/विस्तृत शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालयों को व्यय हेतु आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्रमांक	मांग संख्या/मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	आवंटित राशि (लाख ₹ में)
1	2	3	4	5
1.	मांग संख्या 49 जल संसाधन विभाग/ 2701-मध्यम सिंचाई	03- मध्यम सिंचाई वाणिज्यिक	001-निर्देशन तथा प्रशासन/ 07-मध्यम सिंचाई परियोजना	8223.200

कुल आवंटित राशि - रुपये बेरासी करोड़ तेईस लाख बीस हजार मात्र

- आवंटित राशि वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट उपबंध राशि ₹ 11675.14 लाख (एक सौ सोलह करोड़ पचहत्तर लाख चौदह हजार मात्र) के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि की निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98,1800 (वि.) दि.15.07.2003,1362 दि० 09.05.2016 2747(वि०) दि० 19.09.2016 के आलोक में होगा।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी हैं। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
- जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उक्त मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष का विस्तृत उल्लेख के साथ मुहर तैयार कर व्यवहार करेंगे ताकि महालेखाकार कार्यालय द्वारा लेखा संधारण में किसी तरह की भूल न हो सके।



(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि०)



(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
संयुक्त सचिव

6. प्रत्येक निकासी एवं व्यय पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जबाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
7. सेवानिवृत्त कर्मियों को अनुमान्य एकमुश्त स्थानान्तरण अनुदान और पैकिंग भत्ता की निकासी वित्त विभाग का पत्रांक-170 दिनांक-01.04.2014 से प्राप्त निदेश के अनुरूप की जायगी।
8. वित्त विभाग के पत्रांक-29/बी०टी०ई०-18/2014-15/300 दिनांक-30.03.2015 के आलोक में 15.11.2000 के बाद के बकाया वेतन एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति का भुगतान वेतन मद में उपबंधित राशि से किया जायेगा।
9. मकान किराया भत्ता मद में आवंटित राशि का भुगतान नियमानुसार सक्षम स्तर से किराया निर्धारण तथा अन्य संबंधित आवश्यक अभिलेखों की उपलब्धता के उपरांत ही अनुमान्य राशि तक सीमित कर किया जाएगा।
10. यदि आवंटित की गई राशि अपर्याप्त महसूस हो तो राशि के व्यय का पूर्ण औचित्य तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ राशि की मांग करेंगे। ध्यान रहे कि जिस कार्यालय से व्यय का पूर्ण औचित्य प्राप्त नहीं होगा अतिरिक्त राशि का आवंटन नहीं दिया जायेगा। अतिरिक्त आवंटन की अधियाचना के विरुद्ध आवंटन तभी निर्गत किया जायेगा जब पूर्व निर्गत आवंटन के विरुद्ध शत-प्रतिशत व्यय सुनिश्चित कर लिया जायेगा।
11. यदि किसी इकाई में आवंटित राशि (वेतन छोड़ कर) का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरिक्त राशि का तुरंत प्रत्यार्पण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यार्पण **Online** किया जाय। साथ ही इकाईवार पूर्ण प्रत्यार्पण प्रतिवेदन हार्ड कापी में **Acces No** एवं **Revoke/Surrender No** का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।
12. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
13. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
14. देशीय यात्रा व्यय मद में उपलब्ध कराये गये आवंटन से लंबित स्थानान्तरण यात्रा भत्ता का भुगतान प्रथमतः सेवानिवृत्त कर्मियों को सेवानिवृत्ति की तिथि को आधार मानते हुए कालानुक्रमिकानुसार किया जाय। तत्पश्चात् अन्य स्थानान्तरण यात्रा भत्ता का भुगतान कालानुक्रमिकानुसार (chronological order) किया जाय।
15. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 मार्च 2021 के पूर्व तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जलसंसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनु. :- यथोक्त

(अमिताभ कौशल)
सचिव

ज्ञापांक :- 07

रॉची, दिनांक :- 03.04.2020

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, झारखण्ड पो. -हिन्नीरॉची/कोषागार पदाधिकारी, रॉची/डोरंडा /देवघर / हजारीबाग/ चाईबासा सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त

(अमिताभ कौशल)
सचिव

ज्ञापांक :- 07

रॉची, दिनांक :- 03.04.2020

प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव, योजना-सह-वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/ अभियंता प्रमुख I एवं II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता(मो.), रॉची/संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग को पॉच प्रति/कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग, प्रमंडल-3, को Online Sanction निर्गत करने हेतु/प्रशाखा-7 को पांच अतिरिक्त प्रतियों में/ सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग/ वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग/सांख्यिकी पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
संयुक्त सचिव

(अमिताभ कौशल)
सचिव

मांगा संख्या-49-जल संसाधन विभाग

मुख्य शीर्ष-2701-मध्यम सिंचाई/उप मुख्य शीर्ष-03-मध्यम सिंचाई-वाणिज्यिक
लघु शीर्ष-001-निर्देशन तथा प्रशासन/उप शीर्ष-07-मध्यम सिंचाई परियोजना

पत्रांक. 07

दिनांक 03.04.2020

प्रशिष्ट I

वित्तीय वर्ष 2020-2021		वित्तुल शीर्ष-01-वेतन एवं नर्व				वित्तुल शीर्ष-02-प्रशासनिक खर्च											वित्तुल शीर्ष-03-मोटरगाडिया		वित्तुल शीर्ष-04-अन्य खर्च		राशि लाख रूपये में	
क्र.सं.	कार्यालय का नाम	वेतन	15.11.2000 के पूर्व का वेतन	एलवेटोरीय	देशीय यात्रा	कार्यालय खर्च	किराया, दर, कर	आपूर्ति एवं सामग्री	दूरभाष	बर्दी	विपुल खर्च	मोटरगाडिया	विविध प्रभार	कुल योग	अतिरिक्त							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
1	मुख्य अग्नि, अग्नि योजना, सैदी	22.00	0.00	0.00	0.30	0.40	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.50	0.00	23.30								
2	मुख्य अनियंता जलसंचयन हिसाना, देवघर	120.00	0.00	0.00	0.30	0.40	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.50	0.00	121.30								
3	मुख्य अनियंता जलसंचयन हिसाना, सैदी	158.00	0.00	0.00	0.30	0.40	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.50	0.00	159.30								
4	मुख्य अग्नि यांत्रिक, सैदी	28.00	0.00	0.00	0.20	0.40	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.50	0.00	29.20								
5	अग्नि योजना अंचल दुमका	6.00	0.00	0.00	0.20	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	6.90								
6	अग्नि योजना अंचल सैदी	17.00	0.00	0.00	0.20	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	17.90								
7	जलपथ अंचल, गुमला	75.00	0.00	0.00	0.20	0.30	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.40	0.00	75.95								
8	जलपथ अंचल, चार्डवासा	147.00	0.00	0.00	0.20	0.30	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.40	0.00	147.95								
9	जलपथ अंचल, दुमका	72.00	0.00	0.00	0.20	0.30	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.40	0.00	72.95								
10	जलपथ अंचल, सैदी	160.00	0.00	0.00	0.20	0.30	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.40	0.00	160.95								
11	जलपथ अंचल, हजारीबाग	110.00	0.00	0.00	0.20	0.30	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.40	0.00	110.95								
12	रूपाका आर्योवन एवं मोनितरिंग अंचल, सैदी	129.00	0.00	0.00	0.20	0.30	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.40	0.00	129.95								
13	रूपाका अंचल, देवघर	92.00	0.00	0.00	0.20	0.30	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.40	0.00	92.95								
14	सिंचाई अंचल, जलडीह	180.00	0.00	0.00	0.20	0.30	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.40	0.00	180.95								
15	सिंचाई अंचल, जामताड़ा	68.00	0.00	0.00	0.20	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	68.90								
16	सिंचाई अंचल, महुपुर	82.00	0.00	0.00	0.20	0.30	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.40	0.00	82.95								
17	सिंचाई अंचल, साहेबगंज	53.00	0.00	0.00	0.20	0.30	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.40	0.00	53.95								
18	सिंचाई यांत्रिक अंचल, सैदी	16.00	0.00	0.00	0.20	0.30	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.40	0.00	16.95								
19	अग्नि योजना प्रो दुमका	30.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.45								
20	अग्नि योजना प्रो, सैदी	110.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	110.50								
21	अग्नि योजना प्रो साहेबगंज	39.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	39.75								

(राजेश प्रसाद)
उप सचिव (अग्नि)

(सत्येन्द्र नारायण उपप्राध्याप्य)
संयुक्त सचिव

(अमिताभ कोशल)
सचिव

वित्तीय वर्ष 2020-2021		वित्तिय शीर्ष-01-वेतन एवं नत्ते			वित्तिय शीर्ष-02-प्रशासनिक खर्च										वित्तिय शीर्ष-04-मोटरगाडियाँ		वित्तिय शीर्ष-07-अन्य खर्च		ग्रोशि लाख रूपये में	
क्र.सं.	कार्यालय का नाम	वेतन	15.11.2000 के पूर्व का बकाया	एग्रीडेंसी	देवीय यात्रा	कार्यालय	किराया दरें	आपूर्ति एवं सामग्री	दूरभाष	बर्दी	विद्युत खर्च	मोटरगाडियाँ	विविध प्रकार	कुल योग	अतिरिक्त					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
22	आयोजन गुण नियंत्रण एवं मोठ प्रमंडल, देवर	184.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	184.75						
23	मंगा पन्थ नहर प्रमंडल , साहेबगंज	191.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00	191.80						
24	गुण नियंत्रण प्रमंडल, राँची	215.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	215.75						
25	जलपथ प्रमंडल, छुंटी	280.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00	280.80						
26	जलपथ प्रमंडल, गुमला	192.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	192.50						
27	जलपथ प्रमंडल सं.-1, बरकरपुर	165.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	165.50						
28	जलपथ प्रमंडल सं.-2, हजारीबाग	162.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	162.50						
29	जलपथ प्रमंडल सं.-1,कैनापुर शिखिर गुमला	165.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	165.50						
30	जलपथ प्रमंडल सं.-2,कैनापुर गुमला	128.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	128.50						
31	जलपथ प्रमंडल सं.-1, सिमडिगा	238.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	238.75						
32	पुनर्वस पदाधिकारी, देवर	67.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.45						
33	पुनर्वस पदाधिकारी, नयाम सिंघाई परियोजना, राँची	108.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00	108.80						
34	पुनारी बीस प्रमंडल, पुनारी शिखिर-देवर	194.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00	194.80						
35	पुनारी स्थलित प्रमंडल, पुनारी देवर	245.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	245.50						
36	रूपारुण प्रमंडल सं.-2, देवर	116.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.45						
37	रूपारुण प्रमंडल सं.-4, देवर	132.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.45						
38	रूपारुण प्रमंडल सं.-2, राँची	397.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	397.50						
39	सद्य विवरणी प्रमंडल, कुलडंगाल	69.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.45						
40	विशेष मू-जर्जन पराठ, चाईबासा	163.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00	163.80						
41	विशेष मू-जर्जन पराठ त्रेपुगाट परियोजना, हजारीबाग	132.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	132.75						
42	विशेष मू-जर्जन पराठ, देवर	110.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00	110.80						

(राजेश प्रसाद)
उप सचिव (अभि०)

03.04.2020

(सत्येन्द्र नारायण उपप्राध्याप)
संयुक्त सचिव

(अभिजात कौशल)
सचिव

वित्तीय वर्ष 2020-2021		वित्तीय शीर्ष-01-वेतन एवं भत्ते					वित्तीय शीर्ष-02-याता यात्रा					वित्तीय शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय								वित्तीय शीर्ष-04-मोटरगाड़ियां		वित्तीय शीर्ष-07-हिसा प्रसार		राशि लाख रुपये में	
क्र. सं.	कार्यालय का नाम	वेतन	15.11.2020 के पूर्व का वेतन	एक्स्ट्रावेन्सिभ	देगांव यात्रा	कार्यालय	किराया, दरें	आपूर्ति एवं	दूरभाष	बर्दी	वित्तीय व्यय	मोटरगाड़ियां	हिसा प्रसार	कुल योग	अभियुक्ति										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16										
43	विशेष मू.-अर्जन परामु मध्यम शिवाई परियोजना, दुमका	128.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	128.75											
44	विशेष मू.-अर्जन परामु, खैली	202.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00	202.80											
45	शिवाई प्रमंडल, कुंडहिर	174.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.45											
47	शिवाई प्रमंडल नौडडा, शिबिर-भरगागा	128.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.45											
48	शिवाई प्रमंडल, बलीडीह	203.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00	203.80											
49	शिवाई प्रमंडल, जामवाडा	160.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.45											
50	शिवाई प्रमंडल, दुमका	240.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	240.50											
51	शिवाई प्रमंडल, देवघर	256.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	256.75											
52	शिवाई प्रमंडल, नाला	115.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	115.50											
53	शिवाई प्रमंडल, पाकुड़	112.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	112.50											
54	शिवाई प्रमंडल, बड़हरवा	115.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.45											
55	शिवाई प्रमंडल, शिकारिया	156.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.45											
56	शिवाई प्रमंडल, संड-1, बरहेट	119.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.45											
57	शिवाई प्रमंडल, संड-2, जामवाडा	162.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.45											
58	शिवाई प्रमंडल, सं-2, शिकारिया	130.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00	130.80											
59	शिवाई यांत्रिक प्रमंडल, देवघर	220.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00	220.80											
60	शिवाई यांत्रिक प्रमंडल, खैली	193.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00	193.80											
आवृत्त का योग		8180.00	0.00	0.00	12.10	16.05	0.00	0.00	2.05	0.00	0.00	13.00	0.00	8223.20											

आवृत्त राशि -

रुपये बेरासी करोड़ तेईस लाख बीस हजार मात्र

(राजेश प्रसाद)
उप सचिव(अभि)(सत्येन्द्र नाथनाथ उपाध्याय)
संयुक्त सचिवअभिलेख कोशल
(सचिव)

07

03.04.2020